न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1758–एक/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–8–2007 पारित द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग, सागर अपील प्रकरण कमांक 407/अ–02/04–05.

.....

मैं0 डायमंड सीमेंट्स
प्रो0 मैसूर सीमेंट्स लि0
नरसिंहगढ़ जिला दमोह म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, दमोह

.....अनावेदक

.....

श्री सचिन गुरू, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8.10.2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1758–एक/07 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल के समक्ष अपर आयुक्त, सागर के अपील प्रकरण कमांक 407/अ–02/04–05 में पारित आदेश दिनांक 16–8–07 के विरूद्ध उद्भूत हुआ है । वाद विषय अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा उनके प्रकरण कमांक142/अ–2/92–93 में आदेश दिनांक 11–12–96 से निगराकार के विरूद्ध डायवर्जन लगान एवं प्रीमियम लगाए जाने से प्रारंभ होता है । निगराकार द्वारा निगशनी मेमों में लिखे

अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश की जानकारी उन्हें 20–10–2000 को मिलने के उपरान्त उन्होंने आयुक्त, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें अंतिम तर्क दिनांक 21–3–02 को उन्हें पता चला कि यह अपील उन्हें कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर के समक्ष विलम्ब की माफी के आवेदन के साथ प्रकरण कमांक 7/अ–2/93–94 में अपील प्रस्तुत की, जिसे कलेक्टर ने विलंब के आधार पर उनके आदेश दिनांक 30–12–04 से निरस्त कर दिया । इसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष हुई ।

2/ अपर आयुक्त द्वारा इस द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 407/अ–2/04–05 में पारित आदेश दिनांक 16–8–07 के माध्यम से, निगराकार मे0 डायमण्ड सीमेन्ट फेक्ट्री द्वारा कलेक्टर दमोह के समक्ष दायर प्रकरण कमांक 7/अ–02/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30–12–04 में विलंब हेतु माफी नहीं दिए जाने को सही ठहराया गया है । साथ ही उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के मूल प्रकरण कमांक 142/अ–02/92–93 में पारित आदेश दिनांक 11–12–96 के माध्यम से निगराकार के विरूद्ध आरोपित डायवर्जन लगान एवं प्रीमियम को भी सही पाया गया है । अपर आयुक्त ने अपने इस आदेश में लिखा है कि निगराकार को अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में नोटिस तामील था, एवं कलेक्टर ने प्रकरण में उपलब्ध समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन करने के उपरान्त अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई वैधानिक अथवा प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है । अतः विलंब के कारण माफी योग्य नहीं हैं । साथ ही उन्होंने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के संबंध में भी यही लिखा है । अर्थात, उन्होंने (1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा डायवर्शन लगान एवं प्रीमियम आरोपित किए जाने, एवं (2) कलेक्टर द्वारा विलंब की माफी नहीं किए जाने, दोनों बातों को सही पाया है ।

3/ निगराकार ने अपने निगरानी मेमों में विलंब के कारणों का उल्लेख किया है, जिन्हें संक्षेप में ऊपर मेरे द्वारा लिखा गया है एवं निगरानी मेमो में लिखे होने के कारण पुनः नहीं दोहराया जा रहा है । निगरानी मेमों में निगरानी के आधार में गुणदोष का बिन्दु उठाते हुए यह भी लिखा है कि विषयांकित भूमियों में से कुछ भूमियां डायमण्ड सीमेंट के नाम थी ही नहीं, तथा कुछ का परिवर्तित लगान पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका था । [इसके अतिरिक्त, अपर आयुक्त एवं

कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमोंज में निगराकार द्वारा यह भी कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव से डायवर्जन लगान एवं प्रीमियम लगाना अनुचित था] ।

4/ प्रकरण में तर्क हेतु गैर निगराकार म0 प्र0 शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । निगराकार द्वारा लिखित तर्क उपलब्ध कराए गए । मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त अभिलेखों के परिशीलन उपरान्त उन पर एवं तर्क के समस्त बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार किया गया ।

5/ मेरे द्वारा ऊपर लिखे गए बिन्दुओं के अलावा लिखित तर्क में निगराकार ने ये बिन्दु भी उठाएं है कि :

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष डायवर्शन प्रकरण की कार्यवाही 26–2–93 को प्रारंभ हुई, तथा उसमें उसके बाद 3½ वर्ष उपरान्त 30–11–96 को अगली पेशी मान्य करते हुए बगैर स्थल निरीक्षण एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रतिवेदन के आदेश पारित किया गया जिस कारण ना तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का और ना ही विधिक प्रकिया का पालन हुआ,

(2) अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों में उपरलेखन (ओवर्राइटिंग) थी,

(3) विलंब माफी हेतु उदारता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, एवं

(4) अनुविभागीय अधिकारी को आदेश पारित करने के बाद पक्षकारों को संसूचित करना चाहिए था ।

तर्क के इन बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 के संबंध में निगराकार ने न्याय दृष्टांत भी साथ पेश किए ।

6/ उपरोक्त के प्रकाश में इस प्रकरण में निम्न मुख्य बिन्दु परीक्षण एवं विचारण योग्य बनते है :

(1) क्या कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष आने में हुए विलंब को माफी नहीं दिये जाने का निर्णय सही था ।

(2) क्या प्रकरण के गुणदोष इस प्रकार के थे कि उन पर विनिश्चय करने के लिए, न्यायहित में कलेक्टर को विलम्ब माफ करना चाहिए था ।

7/ इन बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालने के लिए निम्न अन्य बिन्दु भी परीक्षण/विचारण योग्य बनते हैं :

(1) क्या अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में 3½ वर्ष के अन्तराल के बाद पेशी लगी थी, जिसमें आदेश पारित होने के पूर्व निगराकार को

(क) प्रकरण की अनुवृत्ति की दिनांकों की संसूचना नहीं हो पाई, एवं

(ख) अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर नहीं मिला

(2) क्या निगराकार द्वारा यह कहना कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–12–96 की जानकारी उसे 20–10–2000 को हुई, एक मान्य किए जाने योग्य बिन्दु है, एवं क्या

अपने इस आदेश की संसूचना निगराकार को करना, इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का दायित्व बनता था

(3) क्या अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–11–96 एवं 11–12–96 में ओवर्राइटिंग थी, एवं यदि वह थी तो उसके कारण क्या थे, तथा उसके आशय एवं प्रभाव क्या थे।

(4) क्या निगराकार ने पहले प्रथम अपील आयुक्त, सागर के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, जिसे उन्होंने 21–3–02 को वापस लेकर प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष दायर की? क्या इस या ऐसे किसी आधार पर विलंब माफ करना उचित होगा ?

(5) (क) क्या यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से संबंधित भूमियों में से कुछ भूमियां निगराकार से संबंधित नहीं थीं एवं कुछ का परिवर्तित लगान पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका था,

(ख) क्या परिवर्तित लगान एवं प्रीमियम का अधिरोपण भूतलक्षी प्रभाव से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया था, एवं यह विधि अनुकूल था । [भूतलक्षी प्रभाव से डायवर्जन लगान के आरोपण को निगराकार द्वारा, अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमोज़ में अनुपयुक्त होना कहा गया है।]

(ग) ... एवं क्या इन बिन्दुओं एवं/ अथवा किन्हीं अन्य बिन्दुओं के प्रकाश में यह माना जा सकता है कि इस प्रकरण के गुणदोष इस प्रकार के थे कि उन पर विनिश्चय करने के लिए न्यायहित में कलेक्टर को विलंब माफ करना चाहिए था ।

8/ अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 16–8–07 के संबंध में उपरोक्त पैरा 6 में लिखे बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है, जिसके लिए उपरोक्त पैरा–7 के बिन्दु कमांक 1 से 5 पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है । प्रकरण में विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि हालांकि मेरे द्वारा पहचाने गए इन बिन्दुओं में से अनेक बिन्दु अपर आयुक्त अथवा/एवं कलेक्टर के समक्ष उठ चुके थे, किन्तु फिर भी उनके आदेशों में ऐसे बिन्दुओं पर समुचित विवेचना एवं निष्कर्ष का अभाव रहा। अतः मैं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16–8–07 निरस्त करता हूँ, एवं यह प्रकरण, समस्त अभिलेखों सहित आयुक्त, सागर संभाग, सागर को निम्न निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ :

(1) वे अपर आयुक्त न्यायालय का अपील प्रकरण कमांक 407/अ–2/04–05 अब अपने समक्ष खोले एवं उपरोक्त पैरा–7 में लिखे बिन्दु कमांक 1 से 5 पर, एवं अन्य किन्हीं विषयान्तर्गत सुसंगत बिन्दुओं पर, पूर्ण विचार एवं विवेचना कर बोलते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करें ।

(2) ऐसा करते समय, न्यायहित में वे यह देखें कि कौन–कौन सी भूमि कब कब निगराकार मेसर्स डायमण्ड सीमेंट के स्वामित्व एवं अधिपत्य (कब्जे) में रही, एवं कब कब इसमें से किस किस भूमि का डायवर्जन हुआ, और इस बिन्दु के विभिन्न पहलुओं की वैधानिकता पर भी साथ–साथ परीक्षण कर विनिश्चय करें, ताकि पूर्व पैरा 7 के बिन्दु कमांक 5 (क) पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो एव सही निर्णय हो ।

(3) पूर्ववर्ती बिन्दु कमांक 2 में परीक्षण के आधार पर यदि आयुक्त यह पाते हैं कि निगराकार द्वारा किन्ही–किन्ही कालावधियों में या वर्तमान में अवैधानिक तरीके से किन्हीं भूमियों को अपने कब्जे में किया गया है, या यह कि उनके (निगराकार के) द्वारा बगैर डायवर्शन कराए एवं बगैर डायवर्शन के परिणामस्वरूप शासन को देय राशियों का भुगतान किए, कतिपय भूमियों का परिवर्तित उपभोग या उपयोग किन्हीं–किन्हीं कालावधियों में किया गया है या वर्तमान में किया जा रहा है, तो, इस संबंध में भी वे विधि एवं तथ्यो के अनुसार बोलता हुआ निर्णय अभिलिखित कर आदेश पारित करें । इस आदेश के पैरा 7 के बिन्दु कमांक 5 (ख) में लिखे भूतलक्षी प्रभाव से आरोपण से संबंधित विषय पर भी अपना विनिश्चय

अभिलिखित करते हुए निर्णय पारित करें । साथ ही, इस बिन्दु के समर्थन में यदि निगराकार पक्ष कोई वैधानिक आधार, न्याय दृष्टांत आदि प्रस्तुत करते हैं, तो विद्वान आयुक्त अपने विनिश्चय एवं निर्णय के पूर्व उनको विचार में एवं रिकार्ड पर लें ।

(4) उपरोक्त के प्रकाश में वे उपरोक्त पैरा 6 में लिखे बिन्दुओं पर विवेचना कर बोलते हुए निर्णय अभिलिखित कर आदेश पारित करें ।

(5) समस्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय एवं विधि के सुसंगत सिद्धांतों तथा सुसंगत न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए करें एवं संबंधित डीटेल्स अभिलिखित भी करें।

(6) चूँकि प्रकरण में पहले ही काफी विलंब हो चुका है, अतः आयुक्त समस्त बिन्दुओं पर अपना बोलता हुआ आदेश इस आदेश की उनको संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से पारित करें ।

वे प्रकरण में क्षेत्र की जॉच हेतु अधीनस्थ अमले का सहयोग ले सकते है, किन्तु यह सब आवश्यकतानुसार करते हुए अंतिम निर्णय 6 माह के भीतर ही आवश्यक रूप से पारित करें ।

निगराकार मेसर्स डायमण्ड सीमेंन्ट को, आयुक्त सागर के समक्ष न्यायहित में अपना पक्ष समर्थन करने एवं अपने समस्त बिन्दु रखने के लिए एतद् द्वारा एक अन्य अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे अपने समस्त तथ्य, विधि एवं तर्क के बिन्दु इस आदेश की उनको संसूचना के उपरान्त शीघ्रतिशीघ्र एवं अनिवार्यतः 3 सप्ताह के भीतर आयुक्त न्यायालय के प्रथमतः समक्ष रखें ताकि विद्वान आयुक्त प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर परीक्षण, जांच, विवेचना और विचार करते हुए अपना निर्णय 6 माह के भीतर पारित कर सकें ।

प्रकरण में चूँकि गुणदोष एवं विलंब, दोनों के बिन्दु प्रथम दृष्ट्या निहित प्रतीत हो रहे हैं, अतः मैं गुणदोष एवं विलंब, दोनों से संबंधित बिन्दुओं (जो पैरा 6 (2) में लिखे अनुसार एक दूसरे से जुड़े भी हैं) पर विचार हेतु यह समूचा प्रकरण आयुक्त सागर को प्रत्यावर्तित कर रहा हूँ ।

उभयपक्ष सूचित हों ।

समस्त रिकार्ड अपर आयुक्त सागर को इस आदेश की प्रति के साथ भेजा जाए ।

ऊपर लिखे निर्देशानुसार आदेश संसूचना के उपरान्त निर्धारित समयावधियों में कार्यवाहियां पूर्ण हों ।

यह निगरानी प्रकरण इसी आदेश के साथ राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर